न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-420RAAJodhpur2021-220RTA225 Shyamsingh ors Vs Narendrasingh etc

01. श्यामसिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह
02. मेहाईदत पुत्र श्री कल्याण सिंह
03. मनोहर कंवर पत्नी श्री कल्याण सिंह
04. गोविंद सिंह पुत्र श्री हरिप्रताप
05. मानसिंह पुत्र श्री हरिप्रताप
06. गणपत सिंह पुत्र श्री हरिप्रताप
    सभी जातियान् चारण निवासीगण- मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बद्रीदान जाति चारण, निवासी- मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- नरेन्द्र सिंह उमरावत सी- सी कम्पनी कमाण्डर एसटीएफ प्रथम बटालियन आर.ए.सी. मण्डोर, जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार तिंवरी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 26 नवंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2021 नरेन्द्रसिंह बनाम श्यामसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 27 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2021 नरेन्द्रसिंह बनाम श्यामसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 26 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 09 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 740 रकबा 1.8292 हैक्टेयर ग्राम मथानिया तहसील तिवंरी में आने-जाने हेतु अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 743/5 रकबा 1.3379 हैक्टेयर में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार अ से ब रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 नवंबर 2021 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक ने अपनी सुविधा के लिए अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में सें दूसरा रास्ता दिए जाने की अनुचित मांग की गई, जबकि मूल खसरा नं. 740 में सें डामर सड़क तक अपीलार्थीगण के खेत में सें पूर्व में राजीनामा से रास्ता देकर रास्ते की भूमि करवा दी जो रास्ता मौके पर चल रहा है, इसलिए अपीलार्थीगण की उसी भूमि में से दूसरा रास्ता नहीं दिया जा सकता है तथा वैकल्पिक रास्ता मौके पर पहले से मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.2021 एकपक्षीय आदेश के द्वारा बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये मंगायी गई जो रेकर्ड पर लिए जाने योग्य नहीं थी तथा उक्त मौका फर्द दिनांक 26.11.2021 भी एकपक्षीय भू-अभिलेख निरीक्षक ने अपने कार्यालय में बैठकर तैयार कर प्रस्तुत की है, जिसका न्याय विधि में कोई महत्व नहीं होने से उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट निरस्त किये जाने के योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को जवाब, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा जवाब देने का एक भी मौका नहीं दिया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक की भूमि खसरा नं. 740 पर प्रत्यर्थी काश्त नहीं करता है तथा उस पर आवासीय योजना बनाकर छोटे-छोटे भूखण्डो के रूप में विक्रय कर रहा है। मौके पर जिसका स्वरूप आवासीय में बदल दिया गया है, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या एक का धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है। मौका रिपोर्ट में भी उक्त आवासीय भूखण्डों के बारे में मौजूद होते हुए भी जानबूझकर दर्शित नहीं किया है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 68, 69 व 70 के उप नियम 1(1) के अनिवार्य प्रावधानों की कोई पालना नहीं की है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2021 नरेन्द्रसिंह बनाम श्यामसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 26 नवंबर 2021 को खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार तिवंरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर कम नुकसान वाला रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही निकटतम दूरी वाला रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा बताया गया रास्ता रेस्पोडेंट के खातेदारी खसरा नं. 740 से नही लगता है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 26.11.2021 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 740 में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 743/5 में सें मार्क ए.बी.सी.डी. निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया हैं तथा रास्ते में काम में आने वाली भूमि का रकबा 01 बिस्वा बताया गया है।

अपीलांट्स द्वारा अपील स्तर बताया है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नं. 743/6 गैर मुमकिन रास्ता मौके पर उपलब्ध है। मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त रास्ता खसरा नं. 740/1 में पहुचता है न कि खसरा नं. 740 में।

यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता 30 फीट चौड़ाई का दिया है। रास्ते की चौड़ाई अत्यधिक होने से अपीलांट्स खातेदारी भूमि का रकबा अनावश्यक ही रास्ते के रूप में व्यर्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होगा। अदालत हाजा की राय में काश्तकार को अपनी काश्त तक जाने हेतु 16 फीट चौड़ाई का रास्ता ही पर्याप्त होता है। अत्यधिक चौड़ाई के रास्ते से भूमि का रकबा अनावश्यक ही रास्ते के रूप में व्यर्थ होगा तथा काश्तकार को हानि होगी।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2021 नरेन्द्रसिंह बनाम श्यामसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 26 नवंबर 2021 में खसरा नं. 743/5 में सें प्रदत रास्ते की चौड़ाई 30 फीट के स्थान पर 16 फीट की जाती है। तहसीलदार तिवंरी को निर्देशित किया जाता है कि 16 फीट चौड़ाई अनुसार खसरा नं. 743/5 में सें रास्ते के रकबे की गणना करे। परिवर्तित रकबे अनुसार रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि खसरा नं. 743/5 के खातेदारान्/अपीलांट्स को अदा कर दिये जाने पर राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का अमल दरामद करते हुए तरमीम अंकित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.07.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर